चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 04.05.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 04.05.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चित्रकूट पुलिस के थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सड़क पर हो रहे अतिक्रमण, शराब की दुकान, रेलवे स्टेशनों,होटल/ढाबो, 02/04 पहिया वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 08 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

(i). थानाध्यक्ष श्री राम सिंह थाना सरधुवा मय हमराह उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय,आरक्षी दीपांकर,आरक्षी मुकद्दर सिंह व आरक्षी चालक ललित सोनी द्वारा मु0अ0सं0 77/23 धारा 60 आबकारी अधिनियम के वारण्टी अभियुक्त भुल्लू साहू पुत्र पितांबर साहू निवासी ग्राम भानपुर थाना सरदुआ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(ii). उ0नि0 श्री जंगबहादुर सिंह थाना पहाड़ी मय हमराह मुख्य आरक्षी सौरभ कुमार द्वारा मु0नं0 56/2020 मु0अ0सं0 78/2019 धारा 376,452,323,504,506 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त विनय पुत्र बिन्दा निवासी ग्राम परसौजा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(iii). उ0नि0 श्री सत्यमपति त्रिपाठी मय हमराह आरक्षी विपिन कुमार व आरक्षी मोहम्मद अदनान द्वारा मु0नं0 2387/2020 धारा 138 एनआई एक्ट के वारण्टी अभियुक्त महेश प्रसाद पुत्र श्री उदयभान तिवारी निवासी ग्राम खोह थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(iv). उ0नि0 श्री यदुवीर सिंह चौकी प्रभारी गनीवां थाना राजापुर मय हमराह मुख्य आरक्षी वीरेन्द्र,आरक्षी रामकेश,आरक्षी प्रमोद कुमार द्वारा मु0नं0 3382/13 धारा147,148,452,323,504,506 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त नकुल पुत्र शिवप्रसाद निवासी कंधवनिया थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(v). उ0नि0 श्री रामकृत यादव थाना मऊ मय हमराह आरक्षी शुभम त्रिपाठी द्वारा मु0नं0 762/2020 अ0सं0 02/2014 के वारण्टी अभियुक्त वीरेन्द्र पटेल पुत्र स्व0 मदन सिंह निवासी ग्राम छिवलहा थाना मऊ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(vi). उ0नि0 श्री जुबैर खां थाना रैपुरा मय हमराह मुख्य आरक्षी अब्दुल समीर,आरक्षी अंकित शुक्ला द्वारा मु0नं0 232/2019 अ0सं0 135/2011 धारा 323,504 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त कमलेश पुत्र देवनारायन शुक्ला निवासी खोर थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(vii). उ0नि0 श्री अनुभव वर्मा थाना कोतवाली कर्वी द्वारा मु0नं0 1790/2022 धारा 138 एनआई एक्ट के वारण्टी अभियुक्त रहमान पुत्र इमामबक्स निवासी पुरानी बाजार द्वारिकापुरी नूरानी मस्जिद के पास थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(viii). उ0नि0 श्री अनिल कुमार गुप्ता चौकी प्रभारी सीतापुर थाना कोतवाली कर्वी मय हमराह आरक्षी रविन्द्र कुमार,आरक्षी जयप्रकाश द्वारा मु0नं0 331/2015 मु0अ0सं0 316/2014 धारा 379,411 भादवि0 व 4/21 खान खनिज अधिनियम 03 लो0सं0 के वारण्टी अभियुक्त देवी दयाल पुत्र मइयादीन यादव निवासी दुर्गा दास का पुरवा बेड़ीपुलिया थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री जय करन सिंह के मार्गदर्शन में थाना राजापुर पुलिस टीम ने गोवध करने वाले 01 अभियुक्त को एक अदद चापड़/चाकू के साथ गिरफ्तार किया।

विवरण-गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1.शुभम सोनकर पुत्र रमाशंकर सोनकर निवासी 117/325 एम जयप्रकाश नगर,काकादेव कानपुर नगर(स्वराज इंडिया स्कूल के पास)

प्रकाश में आये अभियुक्तगण का विवरण-

1. लकी उर्फ मु. शहनवाज शाह पुत्र नुरूल हुदा शाह नि. 116/926 रोशन नगर रावतपुर कानपुर नगर

2. अमन खान पुत्र अज्ञात नि. 39A वशीर स्टेट रोशन नगर कानपुर नगर

बरामदगी-

1.एक अदद चापड़/चाकू

2.जामा तलाशी से 500/- रूपये

3. दो अदद मोबाइल एक मोटोरोला व एक पोको

गिरफ्तारी का स्थान,दिनाँक व समय-

लूप लाइन चौराहा पेट्रोल पम्प के पास कस्बा व थाना राजापुर, 04.05.2025 समय 01.15 बजे।

संक्षिप्त विवरण-

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 22.04.025 को थानाध्यक्ष राजापुर श्री प्रवीण सिंह क्षेत्र में मामूर थे कि जरिये मुखविर खास सूचना मिली की एक कार सरधुवा की तरफ से आ रही है,जो संदिग्ध है चेकिंग के दौरान एक डीजायर कार आती दिखी जिसे रोककर चेक किया गया तो 06 बोरी में कुल 03 कुंतल 15 किलोग्राम गौ मांस बरामद हुआ। इस पर थाना राजापुर में मु.अ.सं. 88/2025 धारा 3/5/8 गोवध अधिनियम बनाम वाहन संख्या UP 78 KN 0543 वाहन स्वामी शिला पत्नी रमाशंकर सोनकर निवासी आवास विकास केशवपुरम,कल्याणपुर पश्चिम कमिश्नरेट कानपुर नगर व 02 व्यक्ति नाम पता अज्ञात पंजीकृत किया गया। विवेचना उ0नि0 श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह को सुपुर्द हुई । आज दिनाँक 04.05.2025 को उ0नि0 श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह द्वारा अथक प्रयास करते हुए आरोपी अभियुक्त शुभम सोनकर पुत्र रमाशंकर सोनकर निवासी 117/325 एम जयप्रकाश नगर,काकादेव कानपुर नगर(स्वराज इंडिया स्कूल के पास) को लूप लाइन चौराहा पेट्रोल पम्प के पास से 01 अदद चापड़/चाकू, 02 अदद मोबाइल 1. मोटोरोला पिंक कलर IMEI 352532330789138 MOTO G 85 2. POCO रंग काला IMEI 866399060761383-M6PRO के साथ गिरफ्तार किया गया तथा पूंछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि माँ के नाम पर गाड़ी है। मेरा दोस्त 1. लकी उर्फ मु. शहनवाज शाह पुत्र नुरूल हुदा शाह नि. 116/926 रोशन नगर रावतपुर कानपुर नगर 2. अमन खान पुत्र अज्ञात नि. 39A वशीर स्टेट रोशन नगर कानपुर नगर मेरी गाड़ी बुक कर बाहर उन्नाव व चित्रकूट आदि पहले भी लाते रहे है। इस ट्रिप में मैं भी साथ आया था। सरधुवा थाने के पास में 3-4 कि.मी. की दूरी पर अमन किसी से बात कर बहादुर नाम के व्यक्ति से बात कर बोरे में माल लादकर वापस जा रहे थे, कि राजापुर के पास पुलिस ने चेकिंग में रोका तो लकी जो ड्राइवर था गाड़ी को पकड़ने से बचने के लिये कच्चे रास्ते से भागने लगा आगे गडढे में रास्ता बन्द होने के कारण गाड़ी छोड़कर हम तीनो लोग भाग गये जहां गाड़ी छोड़कर भागे कुछ दूर पर खेत में तार लगे थे अंधेरे में फंसकर गिर गये मैं वहीं नीम के पेड़ के पास बैठा रहा तथा अमन झोले में एक बड़ा चाकू लिये था मेरे पास फेक कर भाग गये थे जिसे मैं उसी पेड़ की डाल में छुपा दिया था मैं वहीं में पुलिस के आते जाते व गाड़ी के उठवाकर पुलिस द्वारा लिये जाने के बाद ही मैं वहां से रात में करीब एक बजे तक राजापुर में रहा था मैं अपना फोन फ्लाइंग मोड़ में कर लिया था वो दोनो मुझे छोड़कर भाग गये थे।

<u>गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम-</u>

1.उ0नि0 श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह थाना राजापुर

2.उ0नि0 श्री पवन चौधरी

3.आरक्षी लवकुश यादव

4. आरक्षी प्रकाश मिश्र

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में मादक पदार्थो की तस्करी/बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्रीमती रीता सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री जंगबहादुर व उनकी टीम द्वारा अभियुक्त नितिन कुमार पुत्र अशोक कुमार निवासी सब्जी मण्डी राजापुर थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को एक अदद मोटर साइकिल रायल इनफिल्ड मय 04 किलो सूखा नाजायज गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना राजापुर में धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर मोटरसाइकिल उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया।

बरामदगी-

04 किलो सूखा गांजा

एक अदद मोटर साइकिल रायल इनफिल्ड

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.उ0नि0 श्री जंगबहादुर सिंह थाना पहाड़ी

2.उ0नि0 श्री अभिनव प्रताप सिंह

3.आरक्षी शरद कुमार

4.आरक्षी शुभम द्विवेदी

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अवैध शराब के निर्माण/ब्रिकी की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री अंजनी कुमार सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री शिवपूजन सरोज व उनकी टीम द्वारा अभियुक्त गोलू उर्फ विकास सिंह पुत्र राममूरत सिंह निवासी अहिरपुर मजरा खण्डेहा थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 20 अदद पाउच ग्रैंड मस्ती देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना मऊ पर धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.उ0नि0 श्री शिवपूजन सरोज थाना मऊ

2.आरक्षी नन्दलाल